कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

पत्र सं0 क्र- 2122/8-2(8) ,देहरादून,दिनॉक,मार्च, 27 ,2010

स्थाई आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 के ज्ञाप सं0 3274/14–2–109/74, दिनॉक 28.06.1974 से व्यवस्था दी गयी है कि "उत्तराखण्ड के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाने वाले रिंगाल का नीलाम सब जगह पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाये तथा पूर्व से प्रचलित प्रथा के अनुसार स्थानीय निवासियों को जंगल से रिंगाल ले जाकर टोकरी, चटाई इत्यादि बनाकर स्थानीय बाजारों में बेचने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि इस सुविधा के दिये जाने से रिंगाल वनों को कोई (Irrepable) नुकशान न हो। अगर आवश्यक हो तो ऐसे नुकशान के लिए कटान के नियम व (Periodic Closure) इत्यादि लागू किया जाये तथा सम्बन्धित प्राविधान प्रभाग की कार्ययोजनाओं में भी समाहित कर दिये जाए।"

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रिंगाल से स्थानीय लोग टोकरी, चटाई इत्यादि बनाकर अपनी आजीविका हेतु धनार्जन करते हैं। ऐसे लोगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है परन्तु शासनादेश के मन्तब्य के अनुरूप यह भी आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में यथासम्भव रिंगाल प्रजाति का न केवल दोहन किया जाय, बल्कि प्रत्येक वर्ष संबंधित कार्ययोजना के निर्देशों के अनुरूप रोपण भी किये जॉय ताकि रिगाल की उपयोगिता के साथ–साथ इसकी निरन्तरता भी बनी रहे। अतः कार्ययोजना अधिकारी वर्तमान में चल रहे कार्ययोजनाओं जैसे–पिथौरागढ़ वन प्रभाग, मसूरी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग में उपयुक्त निर्देशों का समाविष्ट अवश्य करें। इसी प्रकार भविष्य में भी रिंगाल क्षेत्रों के कार्ययोजनाओं में इस बिन्दु को ध्यान में रखा जाय।

(डॉ. रघुबीर सिंह रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्याः क्र- 2122/8-2(8),उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड तथा प्रमुख वन संरक्षक,वन्य जीव,उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्ध तथा प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमायूँ, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास बोर्ड
5. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

27/3/2010

(डॉ. रघुबीर सिंह रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।